न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं.25/प्रार्थनापत्र/2025
(GCMS No. 2025/83)

प्रविष्टि दिनांक
07.07.2025

निर्णय दिनांक
03.11.2025

कल्याण उर्फ रामकल्याण आ. जगन्नाथ जाति माली,
निवासी के.पाटन, तहसील के.पाटन,
जिला बून्दी (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के.पाटन (जिला बून्दी)
2.आयुक्त, नगरपालिका के.पाटन, तहसील के.पाटन (जिला बून्दी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व 151 जा.दी.

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पेरोकार सरकार (रसद)।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री कमलेश त्रिपाठी, एडवोकेट।

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा रेफरेंस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 09.03.1993 की तहसीलदार के.पाटन द्वारा पालना नहीं किये जाने से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 144 व 151 जा.दी. इस न्यायालय में संस्थित किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 25/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/83 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा तहसीलदार के.पाटन से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी सं.2 द्वारा दिनांक 07.10.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि कृषि भूमि पुराने खसरा संख्या 620 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम के.पाटन में स्थित है, जिसके भू.प्रबंध के पश्चात नवीन खसरा सं. 439 रकबा 0.08 हैक्टेयर बने है। उक्त भूमि मूल रूप से जगन्नाथ आ. रतना जाति माली निवासी के.पाटन की खातेदारी की भूमि है, जिनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि के खातेदार रामकल्याण, घनश्याम पि. जगन्नाथ जाति माली निवासी के.पाटन जिला बून्दी दर्ज हुये। उक्त भूमि में से 10 बिस्वा भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.11.1974 को रतनलाल वल्द गोविन्दलाल जाति छीपा निवासी के.पाटन ने खरीदा था, उक्त भूमि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं.276 दिनांक 21.06.1977 को क्रेता रतनलाल वल्द गोविन्दलाल जाति छीपा निवासी के.पाटन के नाम स्वीकृत हुआ था। उक्त नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 21.06.1977 के विरूद्ध ग्यारसीलाल आ. मथुरालाल दर्जी निवासी के.पाटन के द्वारा एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलक्टर बून्दी के न्यायालय में पेश की गई थी जिसमें माननीय इस न्यायालय ने धारा 42–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत फ्रेगमेंट के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये मिसल संख्या 36/91 में वादग्रस्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का आदेश पारित करते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस करने का निर्णय दिनांक 04.01.1993 को पारित किया गया। उक्त रेफरेंस की कार्यवाही राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में मुकदमा संख्या 26/93 बउनवान सरकार बनाम ग्यारसीलाल वगै. दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 09.03.1993 से उक्त रेफरेंस को स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 21.06.1977 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। रतनलाल वल्द गोविन्दलाल जाति छीपा निवासी के.पाटन द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध एक स्पेशल अपील संख्या 30/1995 बउनवान रतनलाल बनाम राजस्थान राज्य राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई, जो निर्णय दिनांक 27.11.1997 पारित करते हुये राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दी गई। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण निरस्त हो जाने से उक्त भूमि में रतनलाल आ. गोविन्दलाल छीपा का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान आगे व्यक्त किया कि माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में उक्त नामान्तरकरण की मूल प्रति में निर्णय का नोट अंकित कर दिया गया एवं जमाबंदी संवत 2046–2049 में नामान्तरकरण निरस्ती का नोट अंकित कर दिया गया। लेकिन आज तक उक्त खसरा सं. 439 की वर्तमान जमाबंदी में रतनलाल वल्द गोविन्दलाल सा.

दे. खातेदार दर्ज चला आ रहा है, जो जमाबंदी संवत 2072–2075 में गैर मुमकिन आबादी में दर्ज होकर नगरपालिका के.पाटन के अधीन आती है, उक्त इन्द्राज प्रार्थी के अधिकारों के विपरीत है। उक्त खसरा संख्या 439 पर किस्म गै.मु.आबादी से पूर्व में रतनलाल का नाम दर्ज होने के आधार पर वह उक्त भूखण्ड पर जबरन कब्जा व अतिक्रमण करके तथा आवासीय पट्टा बनवाकर अन्य व्यक्तियों को रहन बेचान करने पर आमादा हो रहा है, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा रेफरेंस प्रकरण में पारित निर्णय के विपरीत है। सिविल न्यायालय ने भी उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं माना है। नामान्तरकरण निरस्त हो जाने से उसके बाद की सभी कार्यवाहियां स्वतः ही प्रभावशून्य हो गई है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी पर रतनलाल आ.गोविन्दलाल कौम छीपा व उसके बाद गे.मु.आबादी के स्थान पर पूर्व खातेदार कल्याण, घनश्याम पि. जगन्नाथ कौम माली निवासी के.पाटन के नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदर के.पाटन को दिये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि खसरा सं. 620 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम के.पाटन में से रकबा 10 बिस्वा भूमि रतनलाल आ. गोविन्दलाल छीपा निवासी के.पाटन द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.11.1974 से क्रय की गई थी। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निष्पादन के साथ ही पूर्व खातेदार जगन्नाथ आ. रतना जाति माली निवासी के.पाटन का उक्त 10 बिस्वा भूमि पर हक अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। क्रेता रतनलाल के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण सं. 276 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन होने के कारण नियमों के प्रतिकूल होने से प्रेषित रेफरेंस प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 09.03.1993 से रेफरेंस स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण सं. 276 दिनांक 25.06.1977 निरस्त किया जा चुका है। उक्त नामान्तरकरण सं. 276 निरस्त हो जाने से उक्त आराजी पर क्रेता रतनलाल का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। चूंकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त निर्णय में क्रेता के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने के आदेश है किन्तु पूर्व खातेदार के नाम दर्ज किये जाने के संबध में कोई आदेश नहीं है। इसका आशय यह है कि उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जानी है किन्तु साथ ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान की जा चुकी 10 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार के नाम दर्ज नहीं की जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं. 439 रकबा 0.08 हैक्टेयर वाके के.पाटन बाबत जवाबदावा द्वारा दिनांक 18.08.2022 को सू–मोटो आदेश पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90(क) के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु अनुज्ञा प्रदान कर दी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका के.पाटन द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 18.08.2022 के विरूद्ध एक कार्यवाही न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी में अपील संख्या 3/2024 बउनवान दिनेश बनाम रतनलाल वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त भूमि वर्तमान में गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है। वर्तमान में उक्त आराजी रतनलाल आ. गोविन्दलाल छीपा निवासी के.पाटन के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी औचित्यहीन होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ है कि खसरा संख्या 620 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम के.पाटन जगन्नाथ आ. रतना जाति माली निवासी के.पाटन की खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि में से 10 बिस्वा भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.11.1974 को रतनलाल वल्द गोविन्दलाल जाति छीपा निवासी के.पाटन द्वारा क्रय किये जाने से उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं.276 दिनांक 21.06.1977 को केता रतनलाल के पक्ष में स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध ग्यारसीलाल आ. मथुरालाल दर्जी निवासी के.पाटन के द्वारा एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई थी जिसमें इस न्यायालय ने धारा 42–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत फ्रेगमेंट के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस राजस्व मण्डल अजमेर में प्रेषित किया गया। उक्त कार्यवाही में राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 09.03.1993 से उक्त रेफरेंस को स्वीकार करते हुये नामान्तरकरण संख्या 276 दिनांक 21.06.1977 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में मूल आदेश राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश की पालना के संबंध में कार्यवाही अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. उसी न्यायालय (राजस्व मण्डल अजमेर) में दायर की जानी चाहिए, जिस न्यायालय ने आदेश पारित किया है। अधिकारिता के अभाव में उक्त कार्यवाही इस न्यायालय में पोषनीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी